अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2023-स्था.।

16.12.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- ईएचएस फार्मेसी में वीडियो निगरानी के तहत दवाईयों का वितरण किए जाने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा एम्स कर्मचारियों से बातचीत के दौरान यह पाया गया है कि उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा जो दवाईयां रोगियों को निर्दिष्ट की जाती हैं कई बार ईएचएस फार्मेसी द्वारा या तो उससे कम मात्रा में वे दवाईयां वितरित की जा रही हैं या वास्तविक दवा की पर्ची के बावजूद भी कुछ दवाईयां वितरित ही नहीं की जा रही हैं।

तदनुसार, ईएचएस फार्मेसी के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए एक बार पुन: सूचित किया जाता है कि ईएचएस फार्मेसी द्वारा दवाईयों का वितरण वीडियो निगरानी के तहत किया जाए।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.11.2022 को जारी पूर्व कार्यालय ज्ञापन फा.सं. 40-30/2023-स्था.। में निहित सभी निदेशों का सतर्कतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। (प्रतिलिपि संलग्न)

प्रो. एम श्रीनिवास
निदेशक

वितरण:- (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशा.)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, प्रापण
8. प्रभारी अधिकारी, प्रापण
9. उप-सचिव

10. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा।

नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u>
<u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं. 40-30/2022-स्था.-I दिनांक: 09 नवम्बर, 2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा में सुधार संबंधी।

ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों को ई.एच.एस. फार्मेसी में उनके लिए निर्धारित दवाएं लेने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, आवश्यक दवाएं समय पर न मिलने अथवा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों को काफी परेशानी होती है एवं इससे रोगी उपचार सेवाएं भी प्रभावित होती हैं क्योंकि कर्मचारी अपनी दवाएं आदि लेने के लिए ड्यूटी पर नहीं होते हैं तथा ई.एच.एस. फार्मेसी में बार-बार जाने से कर्मचारी तथा उनके आश्रितों का मनोबल भी गिरता है।

तद्नुसार, ई.एच.एस. को अधिक से अधिक कर्मचारी अनुकूल बनाने तथा इस सुविधा में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:-

- पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार सेल्फ-प्रिस्क्रिप्शन सुवि□धा उन सभी ई.एच.एस. लाभार्थियों के लिए वि□स्तारित की जाएंगी जिन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 से कानूनी रूप से दवाएं निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। ई.एच.एस. सुवि□धा द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक इस पूर्व-निर्धारित सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस परिभाषित सूची के अतिरिक्त पहली बार रोग के लक्षण दिखाई देने पर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की अनुमति दी जाएगी जिसके बाद संबंधित वि□भाग से उचित परामर्श की आवश्यकता होगी। बिना सेल्फ-प्रिसक्रिप्शन सुवि□धा वाले स्टाफ सदस्यों के लिए सुवि□धा को आसान बनाने हेतु सभी नैदानिक वि□भागों द्वारा एक आंतरिक सीनियर रेजीडेंट को ई.एच.एस. के एस.आर. के रूप में नामित किया जाएगा ताकि ई.एच.एस. सुवि□धा में जाए बिना ही यथास्थान परामर्श और नुस्खे प्राप्त किए जा सकें।

  कार्रवाई: प्रभारी मु.चि.अधि. ई.एच.एस.

- सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए ई.एच.एस. बुक को 31 मार्च 2023 तक स्मार्ट कार्ड और लिंक्ड फोन ऐप/वेब पोर्टल से बदल दिया जाना चाहिए। ई.एच.एस. में सभी परामर्श तथा नुस्खे इलैक्ट्रॉनिक होने चाहिए तथा कर्मचारी के स्मार्टकार्ड में दिनांक 01 अप्रैल 2023 से इसका रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।

कार्रवाई: प्रभारी मु.चि.अधि. ई.एच.एस.

- दिनांक 01 जनवरी 2023 से ई.एच.एस. फार्मेसी प्रात: 07 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यरत होगी ताकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी समय के बाद भी अपनी दवाएं प्राप्त कर सकें। ई.एच.एस. फार्मेसी प्राप्त हुए ई-प्रिसक्रिप्शन के आधार पर ई.एच.एस. लाभार्थी को पैकेज बनाकर दवाएं वितरित करेगी। मेडिसिन पैकेज के तैयार हो जाने पर ई.एच.एस. लाभार्थी को एस.एम.एस. द्वारा सूचना भेजी जाएगी। ई.एच.एस. फार्मेसी से दवा लेने की प्रक्रिया वीडियो निगरानी में होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधित ई.एच.एस. कार्ड की दवा किस व्यक्ति ने प्राप्त की है।

कार्रवाई: चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)

- एनआईसी के ई.एच.एस. मोड्यूल को संशोधित किया जाएगा तथा एक डेशबोर्ड सम्मिलित किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को ई.एच.एस. फार्मेसी में उनकी एल.पी. दवा की मांग प्राप्त होने पर सूचित किया जा सके। इस डेशबोर्ड से संबंधित कर्मचारियों को उनके ई.एच.एस. खातों से जारी दवाओं के मासिक/वार्षिक विवरण जानने का अवसर भी मिलेगा तथा ई.एच.एस. सुविधा के किसी भी दुरूपयोग की निगरानी के लिए बैकएंड पर दवाइयों की खपत की लेखा परीक्षा भी की जा सकेगी।

- सभी कर्मचारियों के लिए ऑप्ट-इन आधारित वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा दिनांक 01 जनवरी 2023 से प्रारंभ की जाएगी।

कार्रवाई: प्रभारी मु.चि.अधि. ई.एच.एस.

(प्रो.एम. श्रीनिवास)
निदेशक

<u>वितरण</u>:(कृपया इसे अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी के लिए परिचालित भी करा दें)

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशा.)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुख/अध्यक्ष, एन.सी.आई. झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्ष
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ई.एच.एस.

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2023-Estt.I 16.12.2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Issue of medicines from EHS Pharmacy under video surveillance reg.

During the undersigned's interactions with AIIMS employees, it has been highlighted that sometimes, medicines are being issued from EHS pharmacy in less quantity than what has been prescribed by the treating doctor or some medicines are not being issued despite a valid prescription.

Accordingly, to usher in full transparency in the functioning of EHS pharmacy, it is once again reiterated that issue of medicines from EHS Pharmacy shall be under video surveillance.

Further, compliance with all instructions issued in earlier OM No. F.No. 40-30/2023-Estt.I dt. 09.11.2022 shall be meticulously ensured. (copy attached)

16/12/20

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Procurement
8. O/Ic Procurement
9. Deputy Secretary
10. Prof. I/c Computer Facility

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2022-Estt.I 09.11.2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Improvements in Employee Health Service reg.

It has been noted that employees have to wait in long queues for fetching their prescribed medicines from the EHS pharmacy. Also, sometimes they return empty handed as required LP medicines have not arrived in time or are not available. This causes great inconvenience to the employees & their family members. Further, this also compromises patient care as employees are away from duty to collect their medicines, etc. and repeated trips to the EHS pharmacy also demoralises the employees and their dependants.

Accordingly, to make EHS more employee friendly and to increase transparency, the following steps shall be taken:

- Self-prescription facility from within a pre-defined list shall be extended for all EHS beneficiaries who are permitted by law to prescribe medicines w.e.f. 1st January 2023. EHS facility shall finalize this pre-defined list by 31st December 2022. Outside this defined list, self-prescription shall be permitted at first instance of that illness after which appropriate consultation from the related department shall be required. To facilitate ease of prescription for all staff members without self-prescription facility, an in-house Senior Resident shall be identified as EHS SR by all clinical departments to enable consultation & prescription in situ without having to visit the EHS Facility

  Action: CMO I/c EHS

- EHS book for all serving and retired employees & their dependants should be replaced by a smart card & linked phone app / web portal by 31st March 2023. All consultations & prescriptions in EHS should be electronic and a record of the same should be available to the employee in his smart card w.e.f. 1st April 2023

  Action: CMO I/c EHS

- The EHS Pharmacy shall operate from 7am – 10pm w.e.f. 1st January 2023 to facilitate employees to collect their medicines outside their duty hours. EHS Pharmacy shall dispense medications in EHS Beneficiary wise packages based on the ePrescription received. A SMS alert shall be sent to the EHS beneficiary when his medicine package is ready for collection. Medicine collection from EHS Pharmacy shall be under video surveillance such as to know which person is collecting medicine against respective EHS Card

  Action: Medical Superintendent (AIIMS)

- The EHS Module of NIC shall be modified to incorporate a dashboard informing the employees when their LP requisition has been received in the EHS pharmacy. This dashboard shall also empower the respective employees know the monthly / yearly issue of medicines from their EHS accounts & shall also allow for a consumption audit at the backend to monitor any misuse of the EHS facility

Action: Prof. I/c Computer Facility

- A facility for annual health check-up for all employees on an opt-in basis shall be started w.e.f. 1st January 2023

Action: CMO I/c EHS

9/11/2022

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. CMO I/c EHS